

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 227830

पटना, दिनांक 13/4/2015

ग्रा.वि.- 14(पू)किश0-02/2015

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,
सचिव।

सेवा में,

निबंधित

श्री अतुल कुमार वर्मा,
विशेष कार्य पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।
(तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, किशनगंज सदर, किशनगंज)

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्नों का प्रबंधन उचित रीति से नहीं करने के कारण हुई हानि के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, किशनगंज से प्राप्त प्रतिवेदन की छाया प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि उक्त जिला से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार विषयांकित अवधि में आप किशनगंज सदर प्रखंड (जिला-किशनगंज) में प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित थे। वर्णित अवधि में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत खाद्यान्न का आवंटन विभिन्न समय में आपके प्रखंड को प्राप्त हुआ था जिसका उठाव आपके माध्यम से जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के द्वारा किया गया था।

2. उपर्युक्त वर्णित योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान एवं बंद हो जाने के उपरांत अवशेष खाद्यान्न के निष्पादन हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार के स्तर से समय-समय पर सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्नों का उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजने का निदेश दिया गया (राज्य सरकार के जापांक-265 दिनांक- 07.01.2006 की छाया प्रति संलग्न)। परन्तु आपके स्तर से उन निदेशों का अनुपालन नहीं करने के कारण भारी मात्रा में खाद्यान्न संबंधित जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के पास अवशेष रह गये। जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के द्वारा अब कहा जा रहा है कि खाद्यान्न के सड़ने के कारण इसे वापस नहीं किया जा सकता।

3. इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में विक्रेताओं द्वारा वाद दायर किया गया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दोषी पदाधिकारियों को चिह्नित कर स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया है।


4. आपके प्रखंड से संबंधित जिला पदाधिकारी, किशनगंज से प्राप्त अद्यतन प्रतिवेदन में दर्शायी गयी अवशेष खाद्यान्न की मात्रा एवं उसमें सन्निहित राशि निम्न प्रकार है:-

खाद्यान्न की मात्रा (क्विंटल में)	सन्निहित राशि
79.65905	₹ 109132.9

उक्त खाद्यान्न के भौतिक सत्यापन / संरक्षण हेतु आपके द्वारा समय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसके फलस्वरूप 79.65905 क्विंटल खाद्यान्न अवशेष रह गये।

अतः आप पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर अपना स्पष्टीकरण दें कि उपर्युक्त वर्णित खाद्यान्न के रख-रखाव एवं निष्पादन में हुई त्रुटि के लिए क्यों नहीं समानुपातिक राशि वसूली की कार्रवाई की जाए।

अनुलग्नक- यथोक्त।

विश्वामभाजन,

(प्रदीप कुमार)
सचिव

11/05
1:8
11/05
1:8

Contd...2/-

2. Under the SGRY/NFWP, works are not opened on demand for employment but according to a plan of infrastructure needs. Once the SGRY/NFWP works also become instruments for NREGA, they will also absorb labour that is allotted employment on them through NREGA (after registration and Job Card and Demand process is followed). Therefore, during the transition period, SGRY/NFWP will be employing labour both

prescribed.
Every identified 200 districts is being released for printing of Job Cards and registers for taking up works on NFWP pattern are being released separately. Rs.25.00 lakh for purpose of the Act. For non-NFWP district identified under NREGA, additional funds NFWP which ever is in force will be deemed to be the action plan for the scheme for the Government notifies its EGS, the Annual Action Plan or Perspective Plan of SGRY or under NREGA. Section 3 of the Act allows this by stipulating that until the State who have demanded work under the EGS will be recorded as work given for purposes The funds used will be from SGRY/NFWP accounts. But the work allotted to those demand for employment would be met from the ongoing SGRY and the NFWP works. If the NREGA is notified in an area in the current financial year, the process of demand registration will start according to the Act and the Guidelines made. The

The National Rural Employment Guarantee Act (NREGA) will be implemented in select identified Districts in the initial stage (list enclosed). The National Food for Work Programme (NFWP) and the Sampoorna Grameen Rozgar Yojana (SGRY) will merge in these identified Districts with the Employment Guarantee Scheme, once NREGA comes into force. In this regard, following decisions on key issues have been taken by the Government of India in order to facilitate smooth transition from the NFWP and the SGRY towards NREGA in the identified Districts that require your immediate attention.

Transition from the SGRY and the NFWP towards the implementation of NREGA in Districts identified.

Sr/Madam

SUBJECT :

The Secretary,
Rural Development Department,
Government of Bihar,
Patna

Dated 27 December 2005

65

जिला का नाम:- किशनगंज

जिला परिषद:- किशनगंज

क्रम सं०	उप विकास आयुक्त का नाम	कुल उठाव	कुल वितरित	अवितरित खाद्यान्न	वसूलीय राशि	वसूली गई राशि	समतुल्य राशि	As per Audit Report
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री बटेश्वर पांडित (बि०प्र०से०)							
2	श्री के० सीनियल कुमार (भा०प्र०से०)							
3	श्री विजय कुमार (बि०प्र०से०)							
4	श्री राम माझी (बि०प्र०से०)							

पंचायत समिति/ प्रखंड स्तर पर:-

क्रम सं०/प्रखंड	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का नाम	कुल उठाव	कुल वितरित	अवितरित खाद्यान्न	वसूलीय राशि	वसूली गई राशि	समतुल्य राशि	As per Audit Report
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	किशनगंज श्री श्यामनंदन शर्मा (1674/99) श्री पंकज कुमार गुप्ता (1541/04) श्री अतुल कुमार वर्मा श्री मोहनजी	5846.68	5714.44	132.24	181168.8	41536.9	139631.9	109132.9
2	बहादुरगंज श्री अजय कु० ठाकुर (2095/99)	8408.47	6883.21	1525.26	2089606.2	400472.2	1689134	509407.7
3	दिघलबैंक श्री विष्णुदेव प्रसाद श्री ऋषिदेव झा श्री गौरी शंकर प्र०	6084.21	6015.36	68.85	94324.5	88515	5809.5	177627
4	कोचाधामन श्री अजय कु० ठाकुर (2095/99) श्री नूर अहमद शिवली (1984/99)	12139.39	11699.46	439.93	602704.1	168610.4	434093.7	301623.7
5	ठाकुरगंज श्री सुनील कुमार (2334/99) मो० मुस्ताक अहमद	11897.28	11780	117.28	160673.6	219272.3	-58598.7	230273.3
6	पोठिया श्री अरुण कुमार (1742/99)	9510.71	9112.33	398.38	545780.6	303749	242031.6	393812.8
7	टेढ़ागाछ श्री मनोज कुमार श्री गुलाब चंद (1478/99)	2805.05	2617.8	187.25	256532.5	149514.5	107018	217674
	TOTAL	56691.79	53822.6	2869.19	3930790.3	1371670.3	2559120	1939551.4